वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य जैविक मिशन प्राधिकार अन्तर्गत राज्य जैविक मिशन, राज्य मसाला मिशन एवं राज्य औषधीय मिशन के कार्यान्वयन हेतु निर्गत राज्यादेश में देय अवयवों के अन्तर्गत योजना कार्यान्वयन निम्न रूप से किया जाना है। चयनित कार्यकारी संस्थाओं के माध्यम से कियान्वयन किया जा रहा है।

1. राज्य जैविक मिशन कार्यान्वयन हेतु कुल क्षेत्रफल 15700 हेक्टेयर, कुल रूपये 1000.00 लाख, राज्य मसाला मिशन कार्यान्वयन हेतु कुल क्षेत्रफल 7610 हेक्टेयर, कुल रूपये 500.00 लाख एवं राज्य औषधीय मिशन हेतु कुल क्षेत्रफल 3000 लाख, कुल रूपये 200.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।
2. इन योजनाओं का कार्यान्वयन जनजातीय क्षेत्रीय उप–योजना अन्तर्गत राज्य के 13 जिलों यथा – राँची, खूँटी, लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, दुमका, सिमडेगा, लातेहार, जामताड़ा, साहेबगंज एवं पाकुड़ जिलों में किया जायेगा।
3. निम्नलिखित अवयवों पर राशि का व्यय किया जायेगा –

   - **प्रशिक्षण/भ्रमण –**

     योजना में निबंधित सरकारी पदाधिकारी/कर्मचारी/गैर–सरकारी संगठन/ कृषकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा साथ ही अन्य राज्यों का परिभ्रमण किया जायेगा। योजना कार्यान्वयन हेतु संस्था प्राधिकार को प्रशिक्षण, भ्रमण से पूर्व अवगत करायेगा तथा प्रतिभागियों को हस्ताक्षरित सूची, फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

   - **सिंचाई एवं उपादान सहायता –**

     आवश्यकतानुसार सिंचाई सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी, जो कुल लागत का 50 प्रतिशत अथवा रूपये 1.50 लाख जो भी कम हो अनुमान्य होगी। यह राशि 1 इकाई निर्माण हेतु देय है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु संस्था सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर सम्बन्धित जिला उद्यान पदाधिकारी/तकनीकी विशेषज्ञ से अभिप्रमाणित कराकर प्राधिकार कार्यालय को उपलब्ध कराने के पश्चात ही योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।

   - प्रत्येक जैविक कृषक को उपादान–अनुदान के रूप में रूपये 2000 हजार प्रति हेक्टेयर की राशि सीधे उनके बैंक खातें में RTGS के माध्यम से अन्तरित की जायेगी। जिस राशि से किसान आवश्यकता के आधार पर सूचीबद्ध संस्थाओं से जैविक खाद का क्रय करेगा।

- मिट्टी जाँच हेतु प्रति नमूना रूपये 75.00 का अनुदान अनुमान्य होगा। जिसमें किसान मिट्टी में N, P, K, p^H तथा जैविक अंश की जाँच करायेगा।

4. प्रगतिशील किसान/चयनित गैर–सरकारी संगठन द्वारा कृषक के माध्यम से हरी खाद बीजोत्पादन कार्यक्रम हेतु प्रति हेक्टेयर रूपये 500.00 देय होगा। जिससे हरी खाद के बीजों का क्रय किया जायेगा, तथा इससे उत्पादित बीजों को अन्य किसानों को बेचा जायेगा।
5. जैविक प्रशिक्षण क्रम में विकसित नवीन एवं स्थानीय तरीको का प्रत्यक्षण कराया जायेगा, जो न्यूनतम 1 हे0/इकाई होगा, जिस पर रूपये 1.00 लाख प्रति इकाई व्यय किया जायेगा। प्रत्यक्षण फार्म में दर्शाये जाने वाले अवयव का प्रदर्शन अन्य प्रगतिशील किसानों को कराया जायेगा। प्रत्यक्षण फार्म के निर्माण हेतु प्राधिकार अन्तर्गत गठित तकनीकी समिति के द्वारा देय अवयवों के अनुसार योजना का कार्यान्वयन करना सुनिश्चित करेगा।
6. जिला स्तरीय पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु संस्थाओं को रूपये 1000.00/हे0 की दर से सेवा राशि 2 किश्तों में उपलब्ध करायी जायेगी। जिसके अन्तर्गत देय राशि संस्था योजना के प्रबंधन एवं अनुश्रवण पर व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।
7. राज्य जैविक मिशन प्राधिकार द्वारा चयनित कृषकों को जैविक प्रमाणीकरण किट तथा स्टेशनरी हेतु रूपये 200.00/हे0 की दर से व्यय किया जायेगा। इस अवयव के अन्तर्गत प्रति हेक्टेयर की दर से प्रमाणीकरण हेतु आवश्यक आलेखों तथा अन्य स्टेशनरी के लिए रूपये 50.00 /हे0 संस्था को निर्गत किया जा चुका है। शेष राशि से इस क्रम में प्राधिकार द्वारा जैविक कृषक डायरी, आवेदन पत्र, निबंधन पत्र तथा अन्य आलेख दिया जा रहा है।
8. योजना क्षेत्र के अन्तर्गत प्रत्येक जिलें में चयनित प्रगतिशील किसान/कार्यकारी संस्था द्वारा कीट व्याधि निरोधक शेडनेट हाऊस स्थापित किया जायेगा, जिस पर प्रति इकाई कुल लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 3 लाख रूपये का व्यय किया जायेगा। इस योजना कार्यान्वयन हेतु संस्था को प्राधिकार द्वारा देय तकनीकी स्वीकृति के आधार पर लाभुक का नाम, स्थान आदि जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित कराकर प्राधिकार कार्यालय में उपलब्ध कराने के पश्चात ही योजना कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।
9. जैविक उत्पादों के कटाई उपरान्त प्रबंधन एवं मूल्य संवर्द्धन तथा विपणन हेतु डिहाईड्रेशन यूनिट (निर्जलीकरण इकाई) की स्थापना की जायेगी, जिस पर कुल लागत का अधिकतम 1.00 लाख रूपये या 50 प्रतिशत प्रति इकाई अनुदान दिया जायेगा। इस योजना

कार्यान्वयन हेतु संस्था को प्राधिकार द्वारा देय तकनीकी स्वीकृति के आधार पर लाभुक का नाम, स्थान आदि जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित कराकर प्राधिकार कार्यालय में उपलब्ध कराने के पश्चात ही योजना कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।

10. योजना का कार्यान्वयन शंकुल अवधारणा (Cluster Based Concept) आधार पर होगा। प्रत्येक शंकुल में कम–से–कम 15 कृषक एवं न्यूनतम क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर होगा।
11. सभी जैविक कृषि का प्राधिकृत प्रमाणीकरण संस्थाओं द्वारा कराया जायेगा, जिसके लिये प्रमाणीकरण संस्था को रूपये 700.00/हेक्टेयर की दर से देय होगा। इस क्रम में प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक आलेख एवं अन्य जानकारी कार्यकारी संस्था द्वारा पूर्ण की जायेगी। वर्तमान में एपेडा द्वारा निर्गत आदेश के अनुसार प्रत्येक I.C.S. एक सोसाईटी के रूप में रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है। यह राशि सीधे प्रमाणीकरण संस्था को निर्गत की जायेगी। इस क्रम में प्रत्येक कार्यकारी संस्था एपेडा अन्तर्गत निबंधन पश्चात् यूजर आई0 डी0 एवं पासवर्ड प्राधिकार कार्यालय को उपलब्ध कराने के पश्चात प्रमाणीकरण संस्था को 50 प्रतिशत राशि विमुक्त की जायेगी, तथा शेष 50 प्रतिशत राशि सर्टिफिकेशन निर्णय के पश्चात् निर्गत की जायेगी।
12. जैविक खेती में निम्नलिखित फसलें ली जायेगी –

    राज्य जैविक मिशन – मटर, फेंचबीन, भिण्डी, ब्रोकली, शिमला मिर्च आदि।

    राज्य मसाला मिशन – अदरक, हल्दी, धनिया, मिर्चा, लहसुन आदि।

    राज्य औषधीय मिशन – शतावर, कालमेघ, घृतकुमारी।